न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी — श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 073/2020
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गलजिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री प्यारा सिंह पत्नी गुरमीत सिंह जाति खत्री सिख निवासी— धालेवाला हाल वीपीओ मीरापुर पटियाला (पंजाब)
2. वीरा उर्फ कुलविन्द्र कौर पुत्री प्यारा सिंह पत्नी हरचरण सिंह जाति खत्री सिख निवासी— वार्ड नम्बर 2, लेबर कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राज0) ....वादीगण

ब ना म

1. बलविन्द्र कौर पुत्री प्यारा सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति खत्री सिख निवासी— पशु चिकित्सालय के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2. ममता पत्नी बलजीत सिंह जाति खत्री सिख निवासी— धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसप्रीत कौर पुत्री बलजीत सिंह नाबालिग जरिये माता ममता पत्नी बलजीत सिंह खत्री सिख निवासी— धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. सुखविन्द्र सिंह पुत्र बलजीत सिंह नाबालिग जरिये माता ममता पत्नी बलजीत सिंह खत्री सिख निवासी— धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ...... प्रतिवादीगण

उपस्थित—	श्री एम.एल. माहर	(वादीगण 01 ता 02)
	श्री मोहन लाल छाबड़ा	(प्रतिवादी— 01 ता 04)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी— 05)

दिनांक 21.09.2021

—निर्णय—

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण के एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के ससुर एवं दादा प्यारा सिह पुत्र कृपाल सिंह के नाम से वाके चक 1 एल एल के खाता संख्या 78/74 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 6.200 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसके आगे प्रश्नगत कृषि भूमि अंकित किया जावेगा। चूंकि प्यारा सिंह के कोई नरीना पुत्र नहीं था, इसलिए पुत्री गलजिन्द्र कौर के पुत्र बलजीत सिंह को विधिवत रूप से दत्तक ग्रहण किया गया और उसी रोज बलजीत को प्रश्नगत कृषि भूमि में से रकबा नम्बर 28 के किला नम्बर 4, 5, 6, 15, 16 में 5.0, किला नम्बर 24 में 0.05, किला नम्बर 25 में 1.00 कुल 6.10 बीघा का पंजीकृत दस्तावेज से अन्तरण किया गया। साथ ही एक बन्द इच्छा पत्र जिला पंजीयन कार्यालय, श्रीगंगानगर में दिनांक 17.06.2004 को जमा करवाई। प्रतिवादी संख्या 02 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के पिता ने अन्तरण पत्र के जरिये राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दर्ज करवा खाता तकसीम करवा लिया गया। बलजीत सिंह की मृत्युपरान्त विरासतन नामान्तरण संख्या 824 दिनांक 08.09.2020 प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के नाम दर्ज किया गया। दिनांक 15.04.2020 को खातेदार प्यारा सिंह की मृत्युपरांत विरासतन नामान्तरण संख्या 826 दिनांक 20.10.2020 दर्ज करवाया, तो वादीगण एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के अलावा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के नाम दर्ज कर दिया, जबकि बलजीत सिंह अपने पिता प्यारा सिंह के जीवनकाल में ही 1/4 हिस्सा वही, जो पंजीकृत इच्छा पत्र दिनांक 17.06.2004 में दर्ज था। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 ने पूर्व इच्छा पत्र दिनांक 17.06.2004 के अस्तित्व को छुपा कर पुनः विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाया जिसे वादीगण वाद पत्र के जरिये चुनौतीग्रस्त कर निरस्त करवाने की

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अधिकारी है। मृतक खातेदार प्यारा सिंह दूरदर्शी व्यक्ति था जिसके कोई नरीना औलाद नहीं थी, इसलिए पारिवारिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए वलजीत सिंह को दत्तक ग्रहण किया और उसी रोज अन्तरण पत्र एवं इच्छा पत्र निष्पादित किये ताकि भविष्य में वारिसानों के बीच प्रश्नगत कृषि भूमि के संवंध में कोई विवाद ना हो, इसलिए वादीगण निष्पादित दस्तावेज इच्छा पत्र दिनांक 17.06.2004 जो दिनांक 15.12.2020 को पंजीकृत किया गया, के आधार पर खातेदारी घोषणा तदुपरांत विभाजन करवाने की अधिकारी है। वादीगण के पिता की मृत्युपरांत वादीगण इच्छा पत्र के अनुसार काबिज हो गये। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण गलजिन्द्र कौर मु0 नं0 28 किला नं0 3, 7, 8, 14, 17, 18 कुल 06.00, वीरा उर्फ कुलविन्द्र कौर एवं वलविन्द्र कौर मु0 नं0 25 किला नं0 1, 2, 9 ता 13, 14 ता 24 कुल 12.05, वलजीत सिंह मु0 नं0 28 किला नं0 4, 5, 6, 15, 16, 24, 25 कुल 6.05 है0 कृषि भूमि पर काविज है ।

वादीगण ने जब पिता की मृत्युपरांत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया तो वादीगण ने राजस्व अभिलेख प्राप्त कर प्रतिवादिया से कहा कि इच्छा पत्र के अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवा लेवें, तो प्रतिवादीगण दिनांक 21.12.2020 को स्पष्ट इन्कार हो गये। वाद पत्र श्रीमान् जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रेषित है। प्रतिवादी संख्या 05 भूधारक होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद वादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे:-

(क) चक 1 एल एल के खाता संख्या 87/36 के मुरब्बा नम्बर 28 में 4.580 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 का नाम कमलजन कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बहिस्सा बराबर - बराबर पंजीकृत इच्छा पत्र दिनांक 15.12.2020 के अनुसार खातेदारी घोषित कर तदनानुसार विभाजन किया जावे।

(ख) स्वीकृत नामान्तरण संख्या 826 दिनांक 20.10.2020 को निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

दिनांक 02.02.2021 को वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 की संपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हेतु टिप्पणी अंकित करते हुए हस्ताक्षर अंकित किये गये। जिसके अनुसार प्रार्थीया का विवाह से पूर्व पीहर में नाम गलजिन्द्र कौर था और विवाह के उपरांत ससुराल में प्रार्थीया का नाम मनजीत कौर रखा गया और प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों में भी प्रार्थीया का नाम मनजीत कौर है लेकिन वाद पत्र में प्रार्थीया का शादी से पूर्व पीहर का नाम गलजिन्द्र कौर दर्ज कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया का वाद पत्र में भी मनजीत कौर उर्फ गलजिन्द्र कौर अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 02.02.2021 को पक्षकारान (वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04) द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत कर हस्ताक्षर अंकित करते हुए अपने-अपने पहचान-पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई। पक्षकारान में वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की पहचान अधिवक्ता श्री मोहन लाल छाबड़ा द्वारा की गई। राजीनामा के तथ्यों के अनुसार पक्षकारान का पंचायत द्वारा मौतबिरान लोगों ने राजीनामा करवा दिया है जो निम्नानुसार है:-

वादीगण संख्या 01 गलजिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर के हिस्सा में चक 1 एल. एल. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 3/1 में 19 बिस्वा, 3/2 में 1 बिस्वा, 8 सालम, 14 सालम, 17 सालम, 18 सालम, 13/2 में पूर्वी दिशा में 13 बिस्वा कुल 5 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा में आई है। वादीगण संख्या 02 कुलविन्द्र कौर के हिस्सा में चक 1 एल.एल. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1/1 में 17 बिस्वा, 1/2 में 1 बिस्वा, 2/1 में 19 बिस्वा, 2/2 में 1 बिस्वा, 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11/1 में उतर दिशा में 16 बिस्वा, 12/1 में उतरी दिशा में 18 बिस्वा, 13/1 में पश्चिम दिशा में 7 बिस्वा कुल 5 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा में आई है। प्रतिवादीगण संख्या 01 बलविन्द्र कौर के हिस्सा में चक 1 एल.एल. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 11/2 में दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

12/2 में दक्षिणी दिशा में 2 बिस्वा, 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा, 21 में 18 बिस्वा, 22 सालम, 23 सालम, 24 में 15 बिस्वा कुल 5 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा में आई है। प्रतिवादीगण संख्या 02 ममता रानी के हिस्सा में चक 1 एल.एल. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 4 सालम, 5 सालम, 6 सालम, 15 सालम, 16 सालम, 25 सालम, 24/2 में 5 बिस्वा, 7 सालम कुल 7 बीघा 5 बिस्वा हिस्सा में आई है। दोनों पक्षकारान की सहमति से चक 1 एल एल के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1/2, 2/2, 3/2 प्रत्येक में 1 – 1 बिस्वा ममता रानी व गलजिन्द्र कौर के लिये आने जाने के रास्ते का उपयोग करते रहेंगें।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत कार्यालय ग्राम पंचायत 4 एल एल द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक SPL-1 दिनांक 05.10.2020 के अनुसार वादीगण संख्या 01 ता 02 एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 चक 1 एल.एल., पटवार हल्का बुर्जवाली, भू. अ. नि. क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/36 एवं खाता संख्या 61/52 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विरासतन इन्तकाल खाता संख्या 61 दिनांक 08.09.2020 एवं विरासतन इन्तकाल खाता संख्या 57 दिनांक 20.10.2020 ग्राम 1 एल.एल., पटवार हल्का बुर्जवाली, भू. अ. नि. क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की प्रमाणित प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदियों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **वादीगण संख्या 01** गलजिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर को चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 3/1 में 19 बिस्वा, 3/2 में 1 बिस्वा, 8 सालम, 14 सालम, 17 सालम, 18 सालम, 13/2 में पूर्वी दिशा में 13 बिस्वा कुल 5 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि, **वादीगण संख्या 02** वीरा उर्फ कुलविन्द्र कौर को चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1/1 में 17 बिस्वा, 1/2 में 1 बिस्वा, 2/1 में 19 बिस्वा, 2/2 में 1 बिस्वा, 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11/1 में उतर दिशा में 16 बिस्वा, 12/1 में उतरी दिशा में 18 बिस्वा, 13/1 में पश्चिम दिशा में 7 बिस्वा कुल 5 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 01** बलविन्द्र कौर को चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 11/2 में दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा, 12/2 में दक्षिणी दिशा में 2 बिस्वा, 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा, 21 में 18 बिस्वा, 22 सालम, 23 सालम, 24 में 15 बिस्वा कुल 5 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 02** ममता रानी, **प्रतिवादी संख्या 03** जसप्रीत कौर, **प्रतिवादी संख्या 04** सुखविन्द्र सिंह को चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 4 सालम, 5 सालम, 6 सालम, 15 सालम, 16 सालम, 25 सालम, 24/2 में 5 बिस्वा, 7 सालम कुल 7 बीघा 5 बिस्वा में बहिस्सा बराबर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(...) श्रीगंगानगर

नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.09.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 73/2020
अन्तर्गत धारा 88,53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गलजिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री प्यारा सिंह पत्नी गुरमीत सिंह जाति खत्री सिख निवासी– धालेवाला हाल वीपीओ मीरापुर पटियाला (पंजाब)
2. वीरा उर्फ कुलविन्द्र कौर पुत्री प्यारा सिंह पत्नी हरचरण सिंह जाति खत्री सिख निवासी– वार्ड नम्बर 2, लेबर कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राज0) ....वादीगण

ब ना म

1. बलविन्द्र कौर पुत्री प्यारा सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति खत्री सिख निवासी– पशु चिकित्सालय के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2. ममता पत्नी बलजीत सिंह जाति खत्री सिख निवासी– धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसप्रीत कौर पुत्री बलजीत सिंह नाबालिग जरिये माता ममता पत्नी बलजीत सिंह खत्री सिख निवासी– धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. सुखविन्द्र सिंह पुत्र बलजीत सिंह नाबालिग जरिये माता ममता पत्नी बलजीत सिंह खत्री सिख निवासी– धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ...... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री एम.एल. माहर	(वादीगण 01 ता 02)
	श्री मोहन लाल छाबड़ा	(प्रतिवादी– 01 ता 04)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी– 05)

दिनांक 24,सितम्बर, 2021

वादपत्र संख्या 73/2020
अन्तर्गत धारा 88,53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण
अधिवक्ता श्री एम.एल. माहर व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अधिवक्ता श्री मोहन लाल
छाबडा पैरोकार राज प्रतिवादी– 5 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –
वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **वादीगण संख्या 01** गलजिन्द्र कौर उर्फ
मनजीत कौर को चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28
के किला नम्बर 3/1 में 19 बिस्वा, 3/2 में 1 बिस्वा, 8 सालम, 14 सालम, 17
सालम, 18 सालम, 13/2 में पूर्वी दिशा में 13 बिस्वा कुल 5 बीघा 13 बिस्वा कृषि
भूमि, **वादीगण संख्या 02** वीरा उर्फ कुलविन्द्र कौर को चक 1 एल.एल. तहसील व
जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1/1 में 17 बिस्वा, 1/2 में 1
बिस्वा, 2/1 में 19 बिस्वा, 2/2 में 1 बिस्वा, 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11/1 में
उतर दिशा में 16 बिस्वा, 12/1 में उतरी दिशा में 18 बिस्वा, 13/1 में पश्चिम दिशा
में 7 बिस्वा कुल 5 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 01** बलविन्द्र कौर को
चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर
11/2 में दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा, 12/2 में दक्षिणी दिशा में 2 बिस्वा, 19 सालम, 20
में 18 बिस्वा, 21 में 18 बिस्वा, 22 सालम, 23 सालम, 24 में 15 बिस्वा कुल 5 बीघा
15 बिस्वा कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 02** ममता रानी, **प्रतिवादी संख्या 03** जसप्रीत
कौर, **प्रतिवादी संख्या 04** सुखविन्द्र सिंह को चक 1 एल.एल. तहसील व जिला

सहायक कलक्टर एव

श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 4 सालम, 5 सालम, 6 सालम, 15 सालम, 16 सालम, 25 सालम, 24/2 में 5 बिस्वा, 7 सालम कुल 7 बीघा 5 बिस्वा में बहिस्सा बराबर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिकी जारी की जाती है।

रुपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को जारी की गयी।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	कुल	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर